रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] No. 457] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 1999/भात्र 25, 1921

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 1999/BHADRA 25, 1921

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1999

सा.का.नि. 640(अ).— भारतीय संविधान के अनुद्छेद 148 की धारा § 5 § और अनुद्छेद 309 के पस्तुक दारा प्रदत्स अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक से परमर्श के पश्चात् भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्षितयों के संबंध में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली 1997 § संशोधित वेतन § में संशोधन करते हुए एतद्दारा निम्निलिखित नियमों का निर्धारण करते हैं।

1. §1 हे इस नियमावली को केन्द्रीय सिविल सेवा है संशोधित वेतन है सुधार नियमावली, 1999 कहा जायेगा।

§2 §ये 1 जनवरी,1996 से लागू माना जायेगा।

2• केन्द्रीय सिविल सेवा १ संशोधित वेतन १ सुधार नियमावली 1999 की पहली अनुसूची के भाग "ग" के पश्चात् भाग "घ" निम्नलिखित तरीके से जोड़ा जायेगाः-

माग-ध

मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप "क" के कुछ पदों का संशोधित वेतनमान्

सरकार दारा इस ज्ञापन के कॉलम 2 में दर्शाये गये पदों के लिए कॉलम 4 में प्रदर्शित संशोधित वेतनमानों का अनुमोदन कर दिया गया है। इन सभी पदों के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतर प्रतिस्थापित वेतनमानों का विस्तार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

> § 1 § कुछ मामलों में कॉलम 4 में दर्शाये गये पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग दारा संस्तृत वेतनमान कुछ विशिष्ट शर्ती को पूरा करने के अधीन है। इन शर्ती में अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, संवर्गी का पुनर्गठन, उच्चतर ग्रेड में पदों का पुनःवितरण

उत्यादि शामिल है। असरव ऐसे मामलों में जहाँ वेसन आयोग ने भर्ती नियमों में बदलाव आदि की शर्तों को इन प्रेन्नत वेसनमानों के लिए तर्कसंगत बताया है, वहाँ पर मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे मामलों पर विचार करे और इन पर्दों पर 1.1.96 से इन वेसनमानों के लागू करने के पहले वेसन आयोग दारा बदलाव के विए गए सुझावों से सहमत हों। अन्य कतिपय मामलों में जहां सबग पुनर्गठन, पर्दों के पुर्वितरण आदि कुछ निश्चित पर्दों के लिए इन वेसनमानों की स्वीकृति हेतु वेसन आयोग की पूर्विपक्षित शर्ते हैं. वहाँ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को न केवल इन पूर्विपक्षित शर्तों को मानना जरूरी होगा बिल्क उन पर्दों के लिए नए वेसनमानों को लागू करने के पहले इन्हें कियान्वित भी करना होगा। असरव यह देखा जाना चाहिए कि वेसन आयोग की सिफारिशों में यह अन्तानिहत है कि इन वेसनमानों को अवश्यमेव पूर्वलक्षी प्रभाव से ग्रहण किया जाय और तब तक संबंधित पर्दों को सामन्य प्रतिस्थापित वेसनमानों दारा अधिशासित रखा जाएगा।

§ 2 ई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दारा 14 फरवरी 1992 को जारी उनके का का सं - 22011/10/84-संस्था ईडी है के अनुदेशों के अनुसार जहां वर्तमान पदचारियों /पदाियकारियों का स्तरोन्नयन उच्चतर प्रतिस्थािमत वेतनमानों में बेहतर उत्तरवाियत्य या योग्यता के मानकों में बदलाव के किए बिना ही कर विया गया है, उन पदाियकारियों को उच्चतर वेतनमान में ऐसे पदों को अधिगृहीत करने पर नविन्युक्त नहीं माना जाना चाहिए। अतएव उन्हें उच्चतर वेतनमान में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकार दारा विज्ञािपत तिथि से पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। तद्नुसार उच्चतर प्रतिस्थािपत वेतनमान केवल उन्हीं पदों के संदर्भ में 1 जनवरी,1996 की तारील के मूतलक्षी प्रभाव से लागू माना जायगा जिनमें श्रेष्ठतर उत्तरदाियत्य की पूर्वधारणा या योग्यता मानकों में परिवर्तन शािमल न हों।

§ 3 है पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ्तिरिशों को उन पदों के संबंध में क्रियिन्वित करते समय, िक्नि स्तरेन्नियल करके उच्चतर वेतनमानों में रखा जाना है तो वर्तमान में निम्नतर वेतनमानों को संस्तृत किए गए उच्चतर वेतनमानों में प्रोन्नत करते समय संवर्ग के पुनर्गठन समेत पवों के पुनः वितरण की जरूरत होगी। इसके अलावा समस्प वेतनमानों के पदधारी पवों के विनिमेय होने से यह असंभव नहीं है कि किनिष्ठ लोग उन पवों पर आसीन हों जिन्हें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफितिरिशों के मव्देनजर उच्चतर वेतनमान में रखा जाना है। अतरव संस्तृत किए गए उच्चतर वेतनमानों का विस्तार अपनी जगह पर ही विद्यान वर्तमान पदधारकों तक निर्धारित चयन प्रक्रिया के वगैर ही नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में पवों के पुनः वितरण या संवर्ग पुनर्गठन समेत पवों का स्तरोन्नयन केवल मृतलबी प्रभाव से ही प्रभावी होगा। योग्य अधिकारियों को भी कार्मिक एवम् प्रशिक्षण विभाग क्षरा विनिर्धारित उच्चतर प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित वेतनमानों की ओपचारिकताये पूरी करने तथा निर्धारित स्थानिक अर्हताये पूरी करने के बाव ही उच्चतर वेतनमान में रखा जायेगा। परिणामतः इन पवों पर नियुक्त किए गए लोगों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के पूरी करने की तिथि से ही वितरीय लाम प्राप्त होंगे।

संख्या	पव 		संशोधित वेतनमान	रिपोर्टकी पैराग्रापः सं•
§ 1 §		≬3 ≬		§5 §
I		कृषि मंत्रालय 		
	पादप संरक्षण, संगरोधन सधा मंडारण नि	नवे शालय 		
1 •	पादप संरक्षण सलाहकार	4500-5700	16400-20000	56•16
П	ना <i>र</i> 	गर विमानन और पर्यटन मत्रालय		
	नागर विमानन महानिदेशालय		,	
1•	उप-महानिदेशक	4500-5700	16400-20000	58•6
	उड़ान प्रशिक्षण और उड़ान निरीक्षण नि			
2•	मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक	4500-5700	16400-20000	58 • 18
I		वागिज्य मंत्रालय 		
	वणिज्य विभाग			
1.	विवेश व्यापार्हनीति है संयुक्त महानिवेशक है अपर महानिवेशक के तौर पर स्तरेम्नत किया जाता है ।	4500→5700	18400-22400	48•131 ¥

	i	9	

2 •	संयुक्त महानिदेशक,विदेश व्यापार १प्रशा• १	4500→5760	18400-22400	48 •1
	४२ १ ∦इसको अपर महानिवेशक के रूप में			
	स्तरोन्नत किया जाता है।			
ΙV		कोयला मंत्रालय		
	कोयला नियंत्रकों का मंगठन			
1•	कोयला नियंत्रक	5100-5700	18400-22400	60•12
		संचार मंत्रालय		
	डाक विभाग			
V	514 14414			
1.	सदस्य ≬तीन पद≬	7300-8000	24050-26000	48 • 87
	डाक सेवा बोर्ड			
2 •	मुख्य पोस्ट मोस्टर जनरल∮तीन पद≬	7300-7600	22400-26000	48 - 88
	∦मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र और तमिलनाडु सर्किल	₹		
3•	मुख्य पौस्ट मास्टर जनरल∮सात पद्	5900-6700	22400-24500	48 • 88
	§12 सर्किलों में 7,जहां पद एस-ए-जी∙में है। §			
X /T		रक्षा मंत्रालय		
VI		~~~~~~		
	नेसिना युद्ध सामग्री आपूर्ति संगठन			
	महानिदेशक, युद सामग्री आपूर्ति	5900-6700	22400-24500	50.119
	नेसिना मुख्यालय			
	महानिवेशालय, रक्षा सम्पदा			

	महानिवेशालय, रक्षा सम्पदा				
2•	 महानिवेशक,रक्षा सम्पदा १प्रमुख,रक्षा सम्पदा से ^{था १}	7300-7600 @	26000∛नियत्त≬	48 • 62	
	ईपैंद बना रहेगा, इसके ऑतिरिक्त प्रतिमाह 300 रूपये भी किया जा सकता है। }	विशेष वेतन मिलेगा।	इसे स्वीकार्यता के	तोर पर	समाप्त
3 •	निवेशक,रक्षा सम्पवा≬तीन पद्ध पूर्वी,उत्तरी और केन्द्रीय कर्मांड	5900-6700	22400-24500	48 • 63	*
	आयुध कारखाना संगठन 				
4 -	सदस्य/अपर महानिदेशक §8 पद§,आयुध कारसाना बोर्ड	7300-8000	24050-26000	48 • 82	*
5•	उप महानिदेशक, §सामूहिक योजना ह आयुष कारसाना बोर्ड मुख्यालय	5900-6700	22400-24500	48•83	*
6•	उप महानिदेशक §युद समिति और सुरक्षा§	5900-6700	22400-24500	48 • 83	*
7•	निवेशक, आयुध कारखाना स्टॉफ कालेज	5900-6700	22400-24500	48•83	*
8 •	बित्तीय सलाहकार §रक्षा सेवाएं §	7 6 0 0 ∮ नियत ∮	26000∦नियत∦	48•57	*
9•	रक्षा लेखा महानियंत्रक प्रमुख,रक्षा लेखा संगठन≬	7 600	26000∦नियत∦	48•56	*
10•	अपर महानियंत्रक∛लेखा परीक्षा≬	7300-7600	24050-26000	48 • 58	*
11•	अपर महानियंत्रक्∛निरीक्षण्	7300-7600	24050-26000	48•58	*
12•	क्षेत्रीय नियंत्रक,रक्षा लेखा § 5 पव § आमी कमन्ड	5900-6700	22400-24500	48•59	*

6	THE G	AZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[Part II-	—Sec. 3(i)]				
13•	ऑतरिक वित्तीय सलाहकार १ 4प व १ सेवा मुख्यालय	4500-5700	18400-22400	¥ 48 • 60 X				
14•	निदेशक§लागत§रक्षा उत्पादन	4500-5700	18400-22400	48 • 46 § ii f *				
	रक्षा अनुसंधान विकास संगठन≬डी∙ः	मार∙डी ∙ ओ ह						
15•	लम्यप्रसिष्ठ वैद्यानिक	7300-8000	24050-2600	63 • 282				
16•	श्रेष्ठ वैद्यानिक	5900-6700	22400-24500	63 • 282				
ì	हॅ× वैद्यानिक "जी" के स्तर के दस प्रतिशत पर्वों को 22400-24500 रूपये के वेतनमान में श्रेष्ठ वैद्यानिक के रूप में स्तरोन्नत किया जाना है। शेष पद वेतनमान के सामान्य प्रतिस्थापन में बरकरार रहना है। हूं							
	नौसेना भण्डार संगठन							
17•	संयुक्त निदेशक	3700-5000	14300-18300	63 • 75				
18•	निवेशक	4500-5700	18400-22400	63 • 75				
٧I	TI .	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय						
1•	वन महानिरीक्षक §वन महानिरीक्षक के रूप में पुनः अभिहित किया जाना है।§	8 0ं 0 0 हॅ मियत हॅ	26000∛नियत्त्	47·48 ¥				
2•	अपर वन महानिरीक्षक §दो पद§्रअपर महानिदेशक के रूप में पुनअभिष्ठित किया जाना	7300-7600	24050-26000	47·50 ∦				
3 •	उप वन महानिरीक्षव≬संरक्षण≬	4500-5700	18400-22400	47 • 52				
	उप वन महानिरीक्षक≬क्न्य जीवन≬	4500~5700	18400-22400	47.52				
	उप वन महानिरीक्षक १र्च∙ ए∙पी १	4500-5700	18400-22400	47 • 52				

	[भाग П—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण			7
	उप वन महानिरीक्षक ў एन • ए • ई • बी ў	4500-5700	18400-22400	47-52	
	∛मडानिरीक्षक के रूप में				
	पुनः अभिडित किया जाना है। ह				
4 -	निवेशक	5900-6700	22400-24500	47-51	*
	इंदिस गांधी सम्द्रीय वन अकावमी		ℬ		
5•	संयुक्त निवेशक हुप्रशा• ह			64•28	
	इंदिरा गांघी राष्ट्रीय वन अकादमी	4500-5700	18400-22400	64-28	*
	≬अपर निदेशक के रूप में पूनः अभिष्ठित किया गया है। ह				,-
	भारतीय वन सर्वेक्षण				
6•	निवेशव	5900~6700	22400-24500	64-63	*
	भारतीय वन सर्वेक्षण				
	§महानिदेशक के रूप में				
	पुनः अभिहित किया जाना है। ह				
7•	क्षेत्रीय संयुक्त निवेशक हचार पव ह भारतीय जन सर्वेक्षण	4500-5700	16400-20000	64•23	*
	श्वीत्रीय निवेशक के रूप में				
	पुनः अभिष्ठित किया जाना है। ≬				
	VIII	वित्त मंत्रालय			
	अधिक कार्य विमाग				
1•	आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय ह अपर मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप मे	5900-6700	22400-24500	48•67)	ŧ
	पुनः अभिहित किया जाना है।				

THE GAZE	TIE OF INDIA . EXTRAORDINA	IKI [FAKI II3EC. 5(1)]
त्रभाग		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Y
	७६०० इ।नयत इ	26000≬नियत≬48∙67 ————————————————————————————————————
सलाह कार ∛ लाग त &	7300-7600	26000∛नियत्र≬48•44 *
		,
त्रर्≬ लागस ∦ लागस		
गासा	5900-6700	22400-24500 48.46 11
मं पुनः अमिहित किया जाना है।		
विमाग		
/सीमा शुल्क आयुक्त	5900-6700	22400-24500 48•51 **
<u>-</u>		
π		
निवेशक ў संचारў	4500-5700	18400-22400 66.137
•		•
गाना है।		
आ युक्त ≬तीन पद≬	5900-6700	22400-24500 48.116
उड़ीसा और हरियाणा क्षेत्र		11
त किया जाना≬		
	तमाग तमाग तमाग तमाग तमाग तमाग तम् लेका संगठनों का प्रमुख सलाहकार हेलागस हलागस लागस तमाला प्रधाम सलाहकार मे पुनः अमिहित किया जाना है। विमाग सीमा शुल्क आयुक्त द हेववीवरा, कलकत्ता, और विल्ली के मुख्य के अधिकार क्षेत्र तर निवेशक हसंचार को अधिकार क्षेत्र तमाना है। आयुक्त हसीन पव उद्दीसा और हरियाणा क्षेत्र आयुक्त हसीन पव अध्याना है। अध्याना हो। अध्याना हो।	ा नियंत्रक 7600 है नियत हैं तियं लेखा संगठनों का प्रमुख है सलाहकार है लागत है 7300-7600 लेखा शाखा 5900-6700 प्रथान सलाहकार में पुनः अमिहित किया जाना है। विमाग सीमा शुल्क आयुक्त 5900-6700 द है बवोद रा, कलकत्ता, और दिल्ली के मुख्य के अधिकार क्षेत्र रहें निवेशक है संचार हैं शाद विंग, बी की र के सी जाना है। आयुक्त हैतीन पव है उद्दीसा और हिरयाणा क्षेत्र आयुक्त के रूप में आयुक्त के रूप में

लाव मंत्रालय

साघ पर्व नागरिक आपूर्ति विभाग ĪΧ निवेशक हुं लागत हु 4500-5700 18400-22400 48-46 11 } 2 • लेखा नियंत्रक *-18400-22400 48.41 4500-5700 मानव संसायन विकास मंत्रालय \mathbf{x} संस्कृति विमाग राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी निवेशक 1. 3000-4500 14300-18300 71-186 XI सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय 1 अपर प्रचान सुधमा 5900-6700 22400-24500 48+77 अधिकारी ्रसमन्वय§ वरिष्ठ अपर प्रधान सूचमा अधिकारी स्तरोन्नत किया गया क्षेत्र प्रचार निवेशालय निवेशक, बेत्र प्रचार *-2• 5900-6700 22400-24500 48.79 **≬अपर महानिवेशक के रूप** में स्तरोन्नत किया जाता है। 🏻 श्रम मंत्रालय ХΠ

	-
	n
1	٠,

хіп	विधि ,=याय	। एवं कंपनी कार्य मंत्रालय		
1•	लेखा नियंत्रक अंपनी कार्य मंत्रालय	4500-5700	18400-22400 48-41	*
2•	निदेशक ў लागत ∮ 	4500-5700	18400-22400 48•46	≬111 ¥ €
	कंपनी लॉ बोर्ड 			
3•	उपाध्यब	7300-7600	24050-26000 75.25	
4 •	सदस्य	5900-6700	22400-24500 75-25	
xīv	योजना एवं कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय			
	राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेश्वण संगठन			
1•	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	7300-7600	22400-26000 48·12 81·14	
xv		रेल मंत्रालय	•	
1 •	अपर सवस्य }िवत्त }	7300-7600	24050-26000 48.97	*
2•	अपर सदस्य १वजट १	7300-7600	24050-26000 48-97	*
3•	कार्यकारी मिवेशक हुपल • पण्ड एफ • ई • हुरेलवे बोर्ड	5900-6700	22400-24500 48.98	* -

:	[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राज	पत्र : असाधारण			11 ==
4 •	अपर सवस्य≬स्वपः≬ रेलवे बोर्ड	7300-7600	24050-26000	83•30	*
5•	कार्यकाकरी निवेशक स्टे-इन्ड्रिट्यल रिलेशन रेलवे बोर्ड	5900-6700	22400-24500	48-104	*-
टिप्प			न आयोग् की सिफा		
संशोष ў संव	यन करते हुए कार्यकारी मिवेशक ध्रंसस्था-आई• आर धृके पर्वो र्वन ध्रॅ थ्र थ्य १८४०० – १४५०० धृकर विचा गया और इन्हें वरिष्ठ	ं ओर रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निवेशक बे	अन्य पर्वो के वेतन नाम से अभिक्रित	माम को ब किया जाएग	क्रकर Ti
6•	अपर सदस्य ≬कम्प्यूटर एवं सूचमा प्रणाली≬	7300-7600	24050-26000	48·109 83·30	*
7 -	अपर सवस्य∮यातायात परिवहम्	7300-7600	24050-26000	48·109 83·30	*
8 •	अपर सदस्य≬वाणिज्य≬	n n	H 39	99 11	*
9•	अपर सदस्य∦मोजन पर्व पर्यटम∦	11 11	11 17	11 11	*
10•	निवेशक, यातायात शोच निवेशालय अमुभंचान एवं विकास संगठम	5900-6700	22400-24500	48•11	*
11-	अपर सवस्य ≬सिविल रूजीनियरिंग ∮	7300-7600	24050-26000	83•30	*-
12•	अपर सवस्य ध्रकार्य ध्र रेलवे बोर्ड	11 11	11 11	11 11	*
13•	निवेशक, मामक हें हैक है अनुसंधाम एवं विकास संगठन	5900-6700	22400-24500	50·136 83·50	*-
14•	मिवेशक इन्डियन रेलवे इंस्वेठ्यूट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग,पूर्णे	11 11	II 11	11 11	*
15•	अपर सदस्य १ योत्रिक १	7300-7600	24050-26000	83 • 30	-} (—

12	THE	GAZETTE OF INDIA:	EXTRAC	RDINARY	1	Part II-	—Sec. 3	(i)]	
16•	अपर सवस्य ў उत्पावन क्काई ह		7300-7	7600	24050-2	26000	83 • 3	D	*
	निवेशक, मानक है मोटिव पायर है अनुसंधान पर्व विकास संगठन		5900-6	5700	22400-2	24500	50·13		*-
18•	निवेशक, इन्डियन रेलवे इन्स्ट्येड्यूट ऑफ मैकेनिकल पण्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर		н	11		11	u	"	*
19•	अपर सदस्य≬विषुत्त≬ रेलवे बोर्ड		7300-7	7600	24050-2	6000	83•36) }	K
20•	निवेशक, मानक श्विधृत ्र अनुसंधान एवं विकास संगठन		5900-6	5700	22400-2	4500			* - 136∖
21•	निवेशक, इंडियन रेलवे इंस्ट्टीट्यूट ऑफ इलेबिद्रकल इंजीनियरिंग नासिक	F	ıı	11	n	, m	11 1	•	*
22•	अपर सदस्य≬सिगनल≬		7300-7	600	24050-2	6000	83•30) }	K
23•	अपर सबस्य हृदूर संचारह		11		II	11	" "		*
24•	निवेशक, मानक §सिंगनलिंग § अनुसंघान एवं विकास संगठन		5900~6	5700	22400-2	4500	50•13 83•50		*
25•	निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्वेट्यूट अ इंजीनियरिंग, सिक्ट दराबाद	ॉापर सिग्नल	II	11	n	n	H H	*	ŧ
26•	अपर सदस्य∛भण्डार∛ रेलवे बोर्ड		7300-7	7600	24050-2	6000	83•30) >	}-
27•	महानिवेशक रेल स्वास्थ्य सेवा		7300-8	000	26000≬1	नयत∦	83 - 28	; }	k
28•	महाप्रविधक है 24 पद है है रेलवे मंडल है 5 है रेलवे उत्पादन ईकाईयॉा है 5 है मेद्रो रेलवे हैं 1 हैं		7300-8	000	24050-2	600	83•71	. 7	(

पन•पफ•निर्माण संगठम् 1 १			
-			
नये स्थापित रेलवे अंचल १७ १	•		
	7300-8000	24050-26000	83•47 🔆
रेलवे स्टॉफ कालेज,बड़ोवरा			
महा निवेशक	7300-8000	24050-26000	83・60 米
			•
लबनऊ		•	
XX			
अपर सदस्य४्याजना४	7300-7600	24050-26000	83 - 3 U APR
अपर सदस्य≬परियोजनारं ह	7300-7600	24050-26000	83•30 *
सिवव	7300-7600	24050-26000	83•29 -¥ -
रेलवे बोर्ड			·
चेयरमेन ११६ पट १	4500-5700	18400-22400	83.42 **
		20100	
	5900-6700	22400-24500	48 • 67 -
रेलवे बोर्ड		-	•
•	ग्रमीण क्षेत्र एंव रोजगार मंत्रालय		
•			
म पंव निरीक्षण निवेशालय			
निदेशक ∦प्रशासन∦	3000-5000	12000-16500	84.13*
			-
रूप में शामिल किया जामा है 💈			
	भूतल परिवडन मंत्रालय		
	रेलवे विपृतीकरण के लिप केन्द्रीय संस्था १ १ १ नये स्थापित रेलवे अंचल १ ७ १ १ प्रधानाचार्य रेलवे स्टॉफ कालेज, बड़ोवरा महा निवेशक अनुसंधान व विकास संगठन लखनऊ अपर सवस्य १ योजना १ सिचव रेलवे बोर्ड चेयरमेन १ 16 पव १ रेलवे मती बोर्ड आर्थिक सलाहकार रेलवे बोर्ड म पंव निरीक्षण निवेशालय निवेशक १ प्रशासन १ १ सी • एस • एस • में डयूटी पोस्ट के	रेलने सिपुर्गाकरण के लिए केन्द्रीय संस्थाई 1 है नये स्थामित रेलने अंचल ह 7 है है प्रधानावार्य 7300-8000 रेलने स्टॅफ कालेज, बड़ोबरा महा निवेशक 7300-8000 अनुसंघान व विकास संगठन लक्षमऊ अपर सबस्य है योजनाह 7300-7600 सिव कोई 7300-7600 सिव कोई 4500-5700 रेलने बोई 4500-5700 रेलने बाई 4500-6700 रेलने बोई 74मीण क्षेत्र पंच तेजगार मंत्रालय म पंच निरीक्षण निवेशालय निवेशक है प्रशासन है 3000-5000 हे सी एस एस पे से डयूटी पोस्ट के रूप में शामिल किया जाना है है	सिन विप्रतिकरण के लिए केन्द्रीय संस्थाई 1 ई नये स्थाभित रेलवे अंचल र र ई ई ई ई से प्रसान केन्द्रीय संस्थाई 1 ई नये स्थाभित रेलवे अंचल र र ई ई ई ई से प्रसान विषय केन्द्रीय स्थाभित रेलवे अंचल र र ई ह से स्थाभित र के लिए कालेज, बड़ोब स र र उ००-8000 24050-26000 अपुर सवस्य स्थाजनाई 7300-7600 24050-26000 अपुर सवस्य स्थाजनाई 7300-7600 24050-26000 स्थाचल 7300-7600 24050-26000 स्थाचल र उ००-7600 24050-26000 र र र र र र र र र र र र र र र र र र

1. महानिवेदाक (सड़क)

7300-8000 26000 हैनियत ₹ 50•57 💥

XVIII

शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय

,	कें-ब्रीय लोक निर्माण विभाग 		
1.	अपर महा निवेशक हैं 2 पव हैं	7300-7600	24050-26000 50·41 X
2 •	मुख्य अभियंता हें प्रशिक्षण हें सी - पी - डब्ल्यू - डी - हें अपर महा निवेशक के पद पर स्तरोन्नत किया जामा है। है	5900-6700	22400-24500 50·41 米
3•	मिवेशक ह मुद्रण ह	4500-5700	16400-20000 55-205
	शहरी एंव ग्रामीण योजना संगठन		

मुस्य योजनाकार

5100-5700 18400-22400 89.50



जल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय मुदा एवं सामग्री अनुसंघान स्टेशन

निवेशक 5100-5700 18400-22400 90-16

2 • अपर निदेशक 4500-5700 16400-20000 90-16

इन पदी को केवल विभिन्न संघरित ग्रुप "क" सेवा या अखिल भारतीय सेवा में पदस्य अधिकारियों दारा भरा जा सकता है

> [फा.सं. 6/1/98-आई.सी.1] एन. सुन्दर राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1999

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 and Clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 1997, namely:—

- 1. (1) These rules shall be called the Central Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1999.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.
- 2. In the First Schedule to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1997, Part 'D' shall be added after Part 'C' as under :—

PART - D

REVISED SCALES OF PAY FOR CERTAIN GROUP 'A' POSTS IN MINISTRIES AND DEPARTMENTS

The revised scales of pay mentioned in column 4 of this part of the Notification for the posts mentioned in column 2 have been approved by the Government. Extension of the specified higher replacement pay scales for all these posts shall be governed by the following conditions:—

- (i) In certain cases, the recommendation of the Fifth Central Pay Commission in respect of the scales of pay mentioned in column 4 are subject to fulfilment of specific conditions. These conditions relate inter alia to changes in recruitment rules, restructuring of cadres, redistribution of posts in higher grades etc. Therefore, in those cases where conditions such as changes in recruitment rules etc. which are brought out by the Pay Commission as the rationale for the grant of these upgraded scales, it will be necessary for the Ministries to decide upon such issues and agree to the changes suggested by the Pay Commission before applying these scales to these posts w.e.f. 1-1-96. In certain other cases where conditions such as cadre restructuring, redistribution of posts etc. have been prescribed by the Pay Commission as prerequisite for grant of these scales to certain posts, it will be necessary for the Ministries/Departments concerned to not only accept these preconditions but also to implement them before the scales are applied to those posts. It would, therefore, be seen that it is implicit in the recommendations of the Pay Commission that such scales necessarily have to take prospective effect and the concerned posts will be governed by the normal replacement scales until then.
- (ii) According to the instructions issued by the Department of Personnel and Training in their O.M. No. 22011/10/84-Estt. (D) dated February 14, 1992, where the upgradation of posts involves only the placement of existing incumbents in higher replacement scales without the assumption of any higher responsibilities or changes in eligiblity criteria, the suitability of the incumbents to occupy such posts in the higher pay scales is not required to be assessed afresh. They can therefore be appointed to the posts in the higher pay scales with effect from the date notified by the Government giving effect to the recommendations of the Pay Commission. Accordingly, the applicable higher replacement scales of pay will be extended retrospectively w.e.f. January 1, 1996 only in respect of those posts not involving the assumption of higher responsibilities or changes in the eligibility criteria.

I

(iii) Implementation of the FCPC recommendations relating to posts which are to upgraded and placed in higher pay scales will, however, necessitate the redistribution of posts presently in lower pay scales in the recommended higher scales, involving restructuring of the cadres. Besides, incumbents of posts in identical scales of pay being interchageable, it is not unlikely that juniors may be presently occupying posts that are to be placed in higher scales of pay in terms of the FCPC recommendations. The recommended higher pay scales cannot therefore be extended in situ to the present incumbents of such posts without duly observing the prescribed selection processes. In the circumstances, upgradation of posts involving the redistribution of posts or cadre restructuring will be effective only prospectively. Eligible officers will also be placed in the higher scales of pay only on completion of the formalities prescribed by the Department of Personnel and Training for appointments to posts in the applicable higher replacement pay scales and on their fulfilling the prescribed residency requirements. Financial benefits will consequently accrue to those appointed against these posts only from the date(s) that they are so appointed on observance of the prescribed selection processes.

S1.	Posts	Present Scale	Revised Scale	Paragraph No.
No.		{Rs.)	(Re.)	of Report
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

MINISTRY OF ASRICULTURE

PIRECTORATE OF PLANT PROTECTION. QURANTINE & STORAGE

1. Plant Protection Adviser 4500-5700 16400-20000 56.16

II NINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

1. Deputy Director General 4500-5700 18409-20000 58.6

<u>**DIRECTORATE OF FLYING TRAINING AND FLIGHT INSPECTION**</u>

2. Chief Flight Operations Inspector 4500-5700 16400-20000 58,18

III <u>Hinistry of Connerce</u>

DEPARTMENT OF COMMERCE

1. Joint Director General of Foreign 4500-5700 18400-22400 48.131 *
Trade(Policy)
(To be upgraded as Additional
Director General)

1	7
	. ,

<u>.भाग II—</u>	खण्ड 3(1)] भारत	का राजपत्र : असाध	ारण ————————————————————————————————————	<u> </u>	_ 1/
2.	Joint Director General of Foreign Trade(Admn.) (To be upgraded as Additiona) Director General)	4500-5700	18400~22400	48 121 ~	
IA	<u>H</u> 1	INTSTRY OF COAL			
	COAL CONTROLLER'S ORGANISATION				
1.	Coal Controller	5100-5700	18400-22400	50.12	
¥	MINISTR	Y OF COMMUNICAT	<u> ons</u>		
	DEPARTMENT OF POSTS				
1.	Member(3 Posts) Postal Services Board	7300-8000	24050-26000	48.87 *	
2.	Chief Post Master General (3 Posts) (MP, Maharashtra and Tamil Nadul Circles)	7300-7600	22400-26000	48.88 *	
3,	Chief Post Master General (7 Posts) (Seven of 12 Circles where the post is in SAG)	5900-6700	22400-24500	48·38 _x	
AI	MIN	ISTRY OF DEFENCE			
	NAVAL ARMAMENT SUPPLY ORGANISATION				
1,	Director General of Armament Supply "aval Headquarters	5900-6700	22400-24500	<u>5</u> 0.119 *	
	<u>DIRECTORATE GENERAL DEFENCE ESTATES</u>				
٠.	Director General, Defence Estates (Head of the Defence Estates Service)	7300-7600 €	26000[Fixed]	48,62 *	
	[• Post carries, in addition, a Special	Pay of Rs.300 p	m. This shall cease to	o be admissiblei	
3.	Director of Defence Estates [3 Posts] Eastern, Northern and Central Commands	5900-6700	∴.+Ú0-2 4 500	48.63 *	
	ORDNANCE FACTORIES ORGANISATION				
4.	Memitional Director General (8 Posts), Ordnance Factories Board	7300-8000	24050-26000	48.82 *	

	THE GAZET	TE OF INDIA : EXT	RAORDINARY	[PART II—SEC. 3
5.	Deputy Director General (Corporate Planning), Ordnance Factories Board Headquarters	5900-6700	22400-24500	48.83 *
6.	Deputy Director General (Ammunition and Safety)	5900-8700	22400-24500	48,83 *
7.	Director, Ordnance Factories Staff College	5900-6700	22400-24500	48.83 ¥
8.	Financial Adviser (Defence Services)	7600(Fixed)	26000(Fixed)	48,57 *
9.	Controller General of Defence Account (Head of the Defence Accounts Organ	· ·	26000[Fixed]	48.56 *
10,	Additional Controller General(Audit	7300-7600	24050-26000	48.58 *
11.	Additional Controller General(Inspec	ction),7300-7600	24050-26000	48,58 *
12.	Regional Controller of Defence Accou (5 Posts) Army Commands	ints 5900 -6 700	22400-24500	48.59 *
13.	Internal Financial Adviser(4 Posts) Service Headquarters	4500-5700	18400-22400	48.60 *
14.	Director(Cost), Defence Production	4500-5700	18400-22400	48.46(iii) *
	DRDO			
15.	Distinguished Scientist	7360-8000	24050-26000	63,282
16.	Outstanding Scientist #	5300-6700	22400-24500	95 273
	[# Ten per cent posts at the lepay scale of Rs.22400-24500.pay.]			

11 A 17 A 1	PTANER	
RAYAI	SHIMES	ORGANISATION
Table A to P	0.011.0	Auduntan Lab

17,	Joint Director	3700-5000	14300-18300	63.75
18.	Director	4500-5700	18400-22400	63.75

VII. MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

47,48 8000[Fixed] 28000[Fixed] 1, Inspector General of Forests

/To be redesignated as Director General of Enrests)

1	•

	- 7(1)1	7 (1-17) 1 41(11-11(1)			
2.	Additional Inspector General of Forests(2 Posts) (To be redesignated as Additional Director General)	7300-7600	24050-26000	47,50	ŧ
3.	Deputy Inspector General of Forests (Conservation)	4500-5700	18400-22400	47,52	
	Deputy Inspector General of Forests (Wild Life)	4500-5700	18400-22400	47.52	
	Deputy Inspector General of Forests (EAP)	4500-5700	18400-22400	47,52	
	Deputy Inspector General of Forests (NAEB)	4500-5700	18460-22400	47.52	
	(To be redesignated as Inspector General)				
4.	Director Indira Gandhi National Forest Academy	5900-6700	22400-24500	47,51 64.28	*
5:	Joint Director(Administration) Indira Gandhi National Forest Academy (To be upgraded as Additional Director)	4500-5700.	18400-22400	64.28	ŧ
	FOREST SURVEY OF INDIA				
6.	Director Forest Survey of India (To be redesignated as Director General)	5900-6700	22400-24500	64.23	*
7.	Regional Joint Director(4 Posts) Forest Survey of India (To be redesignated as Regional Director)	4500-5700	16400-20000	64.29	ŧ
VIII.	MINI	STRY OF FINANCE			
	DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS				
1.	Economic Adviser, Ministry of Finance (To be upgraded as Addl. Chief Economic Adviser)	5900-6700	22400-24500	48.67	*
	DEPARTMENT OF EXPENDITURE				
2.	Controller General of Accounts [Head of Departmentalised Accounts Organisation]	7600 [Fixed]	26000[Fixed]	40.37	ŧ

	THE GAZETTE OF	INDIA : EXT	RAORDINARY	[PART II—SEC	. 3
3.	Chief Advisor (Cost) Cost Accounts Branch	7300~7600	26000(Fixed)	48.44 *	
4.	Advisor(Cost), Cost Accounts Branch (To be upgraded as Additional Chief Advis	5900-6700 or)	22400-24500	48.46(i) *	
	DEPARTMENT OF REVENUE				
5.	Commissioner of Customs/Central Excise (4 Posts) within the jurisdiction of the Chief Commissionerates at Vadodara, Calcutta, Chennai and Delhi,	5900-6700	22400-24500	48.51 *	
6,	Joint Director (Communication) Telecommunication Wing, CBEC (To be redesignated as Director (Communication)	4500-5700	18400-27400	66.137	
7.	Commissioner of Income Tax(3 Posts) Assam. Orissa and Haryana Regions (To be upgraded as Chief Commissioner)	5900-6700	22400-24500	48.116 *	
IX.	MI	NISTRY OF FOOD			
	DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES				
1.	Director(Cost),	4500-5700	18400-22400	48.46(iii)	*
2.	Controller of Accounts	4500~5700	18400-22400	48.41	*
X.	MINISTRY OF H	UMAN RESOURCE D	<u>evelophent</u>		
	DEPARTMENT OF CULTURE				
	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART				
1.	Director	3000-4500	14300-18300	71.186,	
XI.	MINISTRY OF I	NFORMATION & BR	OADCASTING.		
1.	Addl. Principal Information Officer (Coord.) (To be upgraded as Sr. Addl. PIO)	5900-6700	22400-24500	48.77 ×	!
	DIRECTORATE OF FIELD PUBLICITY				
2.	Director of Field Publicity (To be upgraded as Addl, Director General)	5900-6700	22400-24500	48.79 *	l

XII.		MINISTRY OF LABOUR	3		
1.	Labour & Economic Adviser	5900-6700	22400-24500	48.67	*
XIII.	MINISTRY Q	F LAW, JUSTICE & COL	NPANY AFFAIRS		
1.	Controller of Accounts	4500-5700	18400-22400	48.41	*
•	DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS				
2.	Director (Cost)	4500-5700	18400-22400	48.46(1ii) *
	COMPANY LAW BOARD				
3.	Vice Chairman	7300-7600	24050-26000	75.25	
4,	Hember	5900-8700	22400-24500	75.25	
XIV.	MINISTRY OF PL	ANNING AND PROGRAMM	E IMPLEMENTATION		
	NATIONAL SAMPLE SURVEY ORGANISATION				
1.	Chief Executive Officer	7300-7600	22400-26000	48,125 81,14	t
XV.		MINISTRY OF RAILWAY	<u>,</u> (<u>\$</u>		
1.	Additional Member (Finance)	7300-7600	24050-26000	48.97	1
2.	Additional Member (Budget)	7300-7800	24050-26000	48,97	*
3.	Executive Director(L&FE) Railway Board	5900-6700	22400-24500	48,98	•
4.	Addional Member (Staff) Railway Board	7300-7600	24050-28000	A3.30	k
5.	Executive Director (Estt.Industria) Relations) Railway Board	5900-6700	?? 4 00- ?4 500	48.104	*
[<u>NOTE</u> :	In modification of the 5th CPC recomm in the Railway Board upgraded to the Director.]				
6.	Additional Member (Computer & Information Systems)	7300-7600	24050-26000	48.109 83.30	*

7.	Additional Member (Traffic Transport)	7300-7600	24050-26000	48.109	*
8.	Additional Member (Commercial)	7300-7800	24050-26000	83.30 48.109 83.30	*
9.	Additional Member (Catering & Tourism)	7300-7800	24050-28000	48.109 83.30	
10.	Director. Traffic Research Directorate Research & Development Organisation	5900-8700	22400-24500	48.110	*
11.	Additional Member(Civil Engineering)	7300-7600	24050-26000	83.30	ŧ
12.	Additional Member(Works) Railway Board	7300-7600	24050-26000	83.30	*
13.	Director, Standards(Track) Research & Development Organisation	5900-8700	22400-24500	50.13 6 83.50	*
14,	Director Indian Railway Institute of Civil Engineering, Pune	5900-6700	22400-24500	50.13 6 83.50	ŧ
15.	Additional Member(Mechanical)	7300-7600	24050-26000	83.30	ŧ
16.	Additional Member(Production Units)	7300-7800	24050-26000	83.30	*
17.	Director, Standards(Motive Power) Research & Development Organisation	5900-6,700	22400-24500	50.13 6 83.50	*
18.	Director, Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering, Jamalpur	5900-6700	22400-24500	50.13 5 83.50	*
19.	Additional Member(Electrical) Railway Board	7300~7600	24050-26000	83.30	*
20.	Director, Standards(Electrical) Research & Development Organisation	5900~6700	22400-24500	83.50 50.136	t
21.	Director, Indian Railway Institute of Flectrical Engineering, Nashik	5900-6700	22400-24500	83.50 50.136	*
22.	Additional Member(Signal)	7300-7600	24050-26000	83.30	*
23.	Additional Member(Telecommunication)	7300-7800	24050-28000	83.30	*
24,	Director,Standards(Signalling) Research & Development Organisation	5900-6700	22400-24500	50.136 83.50	*
25.	Director, Indian Railway Institute of Signal Engineering, Secunderabad	5900-6700	22400-24500	50.136 83.50	*
26.	Additional Member(Stores) Railway Board	7300-7600	24050-26000	#3.30	*
27.	Director General Railway Health Service	7300-8000	26000[Fixed]	83.28	*

28.	General Managers(24 Posts) [Zonal Railways(9) Railway Production Units(5) Metro Railway(1) NF Construction Organisation(1) Central Organisation for Railway Electrification(1) Newly-established Railway Zones(7)	7300-8000	24050-26000	83.71	1
29.	Principal Railway Staff College, Vadodara	7300-8000	24050-26000	83.47	1
30.	Director General Research & Development Organisation Lucknow	7300-8000	24050-26000	83.60	1
31,	Additional Member(Planning)	7300-7600	24050-26000	83.30	
32.	Additional Member(Projects)	7300-7600	24050-26000	83.30	1
33.	Secretary Railway Board	7300-7600	24050-26000	83.29	1
34.	Chairmen (16 Posts) Railway Recruitment Boards	4500-5700	18400-22400	83.42	1
35.	Economic Adviser Railway Board	5900-6700	22400-24500	48.67	1
XVI.	MINISTR	Y OF RURAL AREAS AND EMP	LOYMENT		
	DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPEC	TION			
1.	Director (Administration) (To be included as a duty post in the CSS)	3000-5000	12000-16500	84.13	1
XVII.	<u>nii</u>	NISTRY OF SURFACE TRANSPO	<u>ort</u>		
	ROADS WING				
1.	Director General (Roads)	7300-8000	26000(Fixed)	50.57	
XVIII.	MINISTRY	OF URBAN AFFAIRS AND EM	<u>iployment</u>		
	CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT				
1,	Additional Director General(2 Posts	7300-7600	24050-28000	50.41	
2.	Chief Engineer(Training), CPWD	5900-6700	22400-24500	50.41	,

===	THE GA	[Part II—Sec. 3(i)		
3.	Director (Printing)	4500-5700	16400-20000	55.205
	TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGAN	ISATION		
4.	Chief Planner	5100-5700	18400-22400	89.50
XIX.		MINISTRY, OF NATER RESOURCE	<u>\$</u>	
	CENTRAL SOIL AND MATERIALS RESE	ARCH STATION		
1.	Director	5100-5700	18400-22400	90.16
	Additional Director	4500-5700	18400-20000	90.16

[F. No. 6/1/98-IC.I] N. SUNDER RAJAN, Jt. Secy.